Om

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार, 2017

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी लोक अदालत केम्प कोर्ट–देसूरी

पीठासीन अधिकारी :– **श्री राजेश मेवाडा आर.ए.एस.**
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 81/2007
दायरा तिथि : 27.07.2007
निर्णय तिथि : 27.05.2017

वादीगण:–

1. पूना पुत्र डाया
2. अमराराम पुत्र घीसाराम
3. सोहन पुत्र घीसाराम
4. पेमा पुत्र घीसाराम
5. तलसाराम पुत्र जसाराम
6. भंवर पुत्र जसाराम
7. कैलाश पुत्र जसाराम
   जातिगण भील, निवासीगण देसूरी
   तहसील देसूरी, जिला–पाली (राज.)

ब ना म

प्रतिवादीगण :–

1. मृतक हकाराम पुत्र डाया के वारिसान :–
   (अ) मांगीलाल पुत्र हकाराम
2. रूपा पुत्र डाया
3. कालू पुत्र चेना
4. दूदा पुत्र चेना
5. किस्तुर पुत्र चेना
   जातिगण भील निवासीगण देसूरी तहसील देसूरी
6. तहसीलदार, देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार की ओर से)

5

: निर्णय : दिनांक : 27.05.2017

दावा बाबत 88, 89, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार, शिविर देसूरी मे पेश हुई। वादी संख्या 1, 2, 4, 5 व 7 उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 मांगीलाल उपस्थित। उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे शहादत पूर्ण होकर वर्तमान मे बहस हेतु लम्बित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण को सुना गया। प्रकरण का निस्तारण उपलब्ध रिकार्ड के अनुरूप मेरीट पर निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत है।

वादीगण ने वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा देसूरी मे स्थित भूमि गत खसरा संख्या 316/3 रकबा 15 बीघा व 316/2 रकबा 15 बीघा जिसके नवीन भू.प्रबंध मे कायम खसरा संख्या 2937, 2938, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952 कुल खसरा 9 कुल रकबा 4.60 हैक्टर मे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का 1/2 हिस्सा वादग्रस्त भूमि मे विद्यमान है। व इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 संवत् 2012 से वादग्रस्त भूमि पर

पेज लगातार––2

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त आराजीयत के 1/2 हिस्से की खातेदारी अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली जबकि वादी संख्या 1 के कब्जा हक मे 1/2 हिस्सा मे से 1/5 हिस्सा की भूमि ही आती है। वादी संख्या 2 से 4 का 1/5 हिस्सा व वादी संख्या 5 से 7 का 1/2 हिस्सा मे से 1/5 हिस्सा आता है। वादग्रस्त भूमि पर मृत डाया व चेना का 1/2–1/2 कब्जा था। डाया के फौत होने के बाद 1/2 हिस्से की भूमि मृतक डाया के पुत्र हका, रूपा, पुना, घीसा,' जसा का कब्जा रहा तथा मृतक घीसा के फौत होने के बाद उसके हिस्से की भूमि वादी 2 लगाय 4 काबिज रहें। व मृतक हका की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या–1 मांगीलाल पुत्र हका तथा मृतक जसा के फौत होने पर वादी संख्या 5 से 7 काबिज रहे तथा प्रतिवादी संख्या–2 व वादी संख्या–1 भी अपने–अपने हिस्से पर काबिज रहे। मृत चेना के फौत होने के बाद प्रतिवादी संख्या 3, 4 व 5 चेना के 1/2 हिस्से पर काबिज है। अतः वादगस्त भूमि के 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 से नेरस्त कर वादी संख्या 1 के 1/10, वादी संख्या 2 से 4 के 1/10 व 5 से 7 के 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 के 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का 1/2 हिस्सा खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 व 5 के वादोतर प्रस्तुत कर स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा कोई जबाव प्रस्तुत नही किया गया। चुंकि प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र के तथ्यो को स्वीकार किया जा चुका है अतः प्रकरण का निस्तारण तनकी वार किये जाने की आवश्यकता नही एवं न ही तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता है। वादीगण की शहादत पूर्ण हो चुकी है। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। उपलब्ध रेकर्ड एवं वादीगंण के कथनो का अवलोकन भी किया गया । वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे वादग्रस्त भूमि हका पुत्र डाया 1/2 हिस्सा, तथा कालु, दुदा किस्तुर पि. चेना 1/2 हिस्सा दर्ज है। मृत डाया भील के वारिसान हकाराम, रूपा, पुना, घीसाराम, जसाराम पि. डाया जिसमे 1/2 हिस्सा के उक्त पांचो पुत्र अधिकारी है। मृत हकाराम का वारिस मांगीलाल प्रतिवादी संख्या–1 का 1/10, रूपा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/10, वादी पुनाराम 1/10 हिस्सा, मृत घीसाराम के कायम मुकाम वादी संख्या 2 से 4 अमराराम, सोहन, पेमाराम व मृत जसाराम के वारिसान वादी संख्या 5 लगाय 7 तलसाराम, भंवरलाल, कैलाश 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का 1/2 हिस्सा हकुक की खातेदारी पाने के अधिकारी रहते है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि मौजा देसूरी के खसरा संख्या 2937, 2938, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952 कुल खसरा 9 कुल रकबा 4.60 हैक्टर भूमि पर वादी संख्या–1 पूना को 1/10 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 4 को 1/10 हिस्सा, व वादी संख्या 5 से 7 का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/10, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का 1/2 हिस्सा खातेदारी घोषित किया जाता है। वादीगण 1 से 7 व प्रतिवादी संख्या–2 के हिस्से मे बतौर खातेदारी दर्ज किये जाने के लिये वादी संख्या 1 से 7 प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा प्रचलित डी.एल.सी. बाजार दर के अनुरूप हिस्से मे रही भूमि के लिये देय मुद्रांक राशि के अनुरूप राशि वसूल देय होंगी. तथा उक्त राशि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या–6 तहसीलदार देसूरी के पास जमा करवायी जाने के पश्चात् आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किया जावेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार देसूरी, उप पंजीयक देसूरी व पटवारी हल्का देसूरी को भिजवायी जावे। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक **27.05.2017** को मजमा–ए–आम मे सुनाया गया।

(रमेश मेवाड़ा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
दिनांक 27.05.2017

क्रमॉक/केम्प कोर्ट/2017/
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ
1. तहसीलदार, देसूरी
2. उप पंजीयक देसूरी
3. पटवारी हल्का, देसूरी

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
केम्प–देसूरी

प्रपत्र 6

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) देसूरी

पीठासीन अधिकारी :– **श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.**

वादीगण :–

1. पूना पुत्र डाया
2. अमराराम पुत्र धीसाराम
3. सोहन पुत्र धीसाराम
4. पैमा पुत्र धीसाराम
5. तलसाराम पुत्र जसाराम
6. भंवर पुत्र जसाराम
7. कैलाश पुत्र जसाराम
   जातिगण भील, निवासीगण देसूरी
   तहसील देसूरी, जिला–पाली (राज.)

ब ना म

प्रतिवादीगण :–

1. मृतक हकाराम पुत्र डाया के वारिसान :–
   (अ) मांगीलाल पुत्र हकाराम
2. रूपा पुत्र डाया
3. कालू पुत्र चैना
4. दूदा पुत्र चैना
5. किस्तुर पुत्र चैना
   जातिगण भील निवासीगण देसूरी तहसील देसूरी
6. तहसीलदार, देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार की ओर से)

दावा बाबत **88, 89, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**
मुकदमा नम्बर :– **81/2010**
निर्णय दिनांक :– **27.05.2017**

वादी की ओर से **वादी संख्या 1, 2, 4, 5 व 7 उपस्थित** व प्रतिवादी की ओर से **प्रतिवादी संख्या 1 मांगीलाल** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **27.05.2017** को (नाम पीठासीन अधिकारी) **राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि मौजा देसूरी के खसरा संख्या 2937, 2938, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952 कुल खसरा 9 कुल रकबा 4.60 हैक्टर भूमि पर वादी संख्या–1 पूना को 1/10 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 4 को 1/10 हिस्सा, व वादी संख्या 5 से 7 का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/10, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का 1/2 हिस्सा खातेदारी घोषित किया जाता है। वादीगण 1 से 7 व प्रतिवादी संख्या–2 के हिस्से मे बतौर खातेदारी दर्ज किये जाने के लिये वादी संख्या 1 से 7 प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा प्रचलित डी.एल.सी. बाजार दर के अनुरूप हिस्से मे रही भूमि के लिये देय मुद्रांक राशि के अनुरूप राशि वसूल देय होंगी तथा उक्त राशि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या–6 तहसीलदार देसूरी के पास जमा करवायी जाने के पश्चात् आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किया जावेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार देसूरी, उप पंजीयक देसूरी व पटवारी हल्का देसूरी को भिजवायी जावे। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक **27.05.2017** को मजमा–ए–आम मे सुनाया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
केम्प–देसूरी